प्रकरण संख्या 6/2021 प्रेमसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि राजस्व ग्राम तरसिंगडा में आराजी नंबर 259 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा स्थित है, जिसमें आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नंबर 266/1 में से उत्तर से दक्षिण 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जावे। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 259 व 258 के दक्षिण से विपक्षी के आराजी नंबर 266/1 में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में पहुंचने के लिए उत्तर व पूर्व दिशा में पहले से रास्ता मौजूद है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20.10.2020 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 ने इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.01.2021 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र सनाढ्य उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं हुई। जानकारी होते ही नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट ने प्रश्नगत निर्णय की नकल हेतु आवेदन माह अक्टूबर में ही प्रस्तुत कर दिया था। अपीलान्ट अपनी लापरवाही न्यायालय के उपर थोप कर अपील को मयाद में लाना चाहता है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। हमने उक्त आवेदन पत्र तथा उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत करने में बहुत अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 6/2021 प्रेमसिंह बनाम सरकार

गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट अपील ने मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की आराजी नंबर 259, 258 के दक्षिण से विपक्षी की आराजी नंबर 266/1 में से किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट के लिए पूर्व दिशा में पहले से ही रास्ता मौजूद है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है वहां धारा 251 ए के तहत प्रार्थी को नया रास्ता सृजित करने का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तलब की है, जिससे अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है वह तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.10.2020 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर उसके आधार पर वैकल्पिक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 28.04.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:32 IST
Reason: SelfAttested